1805 G(2) G-(2) 504

विक्रय-पत्र

बैनामा :- 1064000/-रूपये सर्किल दर से मालियत :- 1064000/-रूपये

स्टाम्प शुल्क :- 53200/-रूपये, इकरारनामे में अदा स्टाम्प शुल्क :- नहीं

वर्तमान में दिया गया स्टाम्प शुल्क :- 53200/-रूपये कुल शीटो की सं0:- 12

विक्रीत सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल:- 0.7593 हैक्टेयर

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण :- कृषि भूमि

(कृषि/आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक और सम्पत्ति यदि भवन है तो निर्माण का वर्ष और निर्माण का प्रकार व एक मंजिली अथवा बहुमंजिली)

कवर्ड एरिया (यदि निर्माण है तो) नहीं

स्थित ग्राम/नगर :- ग्राम सढौली परगना मंगलौर तहसील रूडकी।

(मौजा या मौहल्ला, परगना, तहसील, नगरीय, अर्द्धनगरीय आदि)

क्रेता तथा विक्रेता अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है अथवा नही :- नहीं

विक्रेता का स्वामित्व का आधार :- द्वारा विक्रय पत्र

भूमि पटटे आदि की है अथवा नही :- नहीं

चकबन्दी चल रही है अथवा नही :- नही

कृषि भूमि की स्थिति में :- नहीं

(बाग,सिंचित/असिंचित अथवा सर्किल दर सूची की श्रेणी के अनुसार सिंचित अथवा असिंचित)

अवलोकित पी0 ओ0

रेट लिस्ट में पृष्ठ सं0:-27 क्रमांक 1-क-38 सर्किल रेट:- भूमि 05 मीटर से कम चौडे मार्ग पर होने के कारण 1400000/-रूपये प्रति हेक्टेयर

आवास विकास शुल्क के अन्दर है अथवा बाहर :- लागू नहीं।

क्या क्रेता उत्तराखण्ड राज्य का दि0 12-09-03 से पूर्व का कृषक/अचल सम्पत्ति धारक है, यदि हॉ तो सम्पत्ति कहां स्थित है :- क्रेता कृषक है।

क्रेता/विक्रेता या उभय पक्ष विदेशी नागरिक नही है तथा विदेशो में रह रहे भारतीय मूल के नहीं है। इसके अतिरिक्त उभय पक्ष पाकिस्तान, बंग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, भूटान, नेपाल के नागरिक नही है तथा वहां रह रहे भारतीय मूल के नहीं है।

फोटो व अंगुष्ठ चिन्ह प्रमाणितकर्ता :- नवीन शर्मा एडवोकेट रूडकी।

सुनीता   योगेश

Naveen

Scanned with CamScanner

विक्रेता का नाम, पिता का नाम व पता :- **श्रीमति सुनीता पत्नी लोकेश व लोकेश कुमार पुत्र श्री सूरजभान निवासीगण ग्राम सढौली परगना मंगलौर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार, फोटो पहचान पत्र संख्या WIG0065797, UP/85/421/0132449**

विदित हो कि प्रतिज्ञ (विक्रेता) निम्नलिखित सम्पत्ति के स्वामी व अधिकारी है। जो इस समय तक हर प्रकार के भार तथा प्रतिबन्ध आदि से शुद्ध व मुक्त है। किसी प्रकार से पूर्व में किसी दीगर व्यक्ति विशेष के हक में कोई इकरारनामा माहदा बैय या विक्रय पत्र पूर्व में निष्पादित नहीं है और न ही हस्तान्तरण अथवा बन्धक आदि है और न ही किसी बैंक संस्था या व्यक्ति विशेष से कोई ऋण आदि लेकर निम्नलिखित सम्पत्ति को बन्धक किया हुआ है और निम्नलिखित सम्पत्ति को विक्रय व हस्तान्तरित करने में प्रतिज्ञ पूर्ण रूप से सक्षम है। अतः प्रतिज्ञ ने अपनी मन बुद्धि तथा इन्द्रियो की स्वस्थ दशा में बिना किसी जोर व दबाव के अपने पूर्ण होशोहवास में स्वतन्त्र मन से निम्नलिखित सम्पत्ति को बदले **मुबलिग :- 1064000/- दस लाख चौसठ हजार रूपये में हाथ :- नवीन पटवाल पुत्र श्री मातबर सिंह पटवाल निवासी ग्राम बडगांव मल्ला पट्टी गंगवाडसयूं जिला पौडी गढवाल हाल निवासी ग्राम कोटवाल आलमपुर डाकखाना झबरेडा परगना मंगलौर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड, डी0एल0 संख्या DL-0120120153279**

लोकेश

सुनीता

Naveen

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

054478

उत्तरांचल UTTARANCHAL

कोषाधिकारी
कोड संख्या 650
जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

को विक्रय व हस्तान्तरित कर दी है तथा कुल मूल्यराशि की प्राप्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है तत्पश्चात इसके कोई मूल्य राशि क्रेता के जिम्मे शेष

सुनीता

NAVEEN SHARMA
Advocate
Civil Court, Roorkee (Haridwar) U.K.
Regd. No.931/98

NAVEEN SHARMA
Advocate
Civil Court, Roorkee (Haridwar) U.K.

सुनीता

Naveen

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000 रुपये
पच्चीस हज़ार रुपये
सत्यमेव जयते

उत्तरांचल UTTARANCHAL

054519

कोषाधिकारी (रुड़की)
19 FEB 2015
जिला हरिद्वार

नही रही है और न भविष्य में होगी। कब्जा व दखल क्रेता का बखूबी व वाकई मौके पर करा दिया है और अपना कब्जा व दखल हर प्रकार से

सुनीता

Javeen

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

B 674885

1 9 FEB 2015

जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

हटा लिया गया है। अब प्रतिज्ञ वचन देते है और प्रतिज्ञा करते है कि क्रेता सदैव निम्नलिखित सम्पत्ति पर अपना समस्त अधिकार व स्वामित्व सहित

सुनीता

Praveen

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

B 674886

19 FEB 2015

जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

कब्जा करके लाभ हर प्रकार का प्राप्त करे, हर प्रकार से अपने भोग व प्रयोग में लावें और जो चाहे सो करे। अब प्रतिज्ञ तथा उसके

सुनीता लोकेश Zaveen

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

B 674887

19 FEB 2015

जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

उत्तराधिकारी को, विक्रय की हुई निम्नलिखित सम्पत्ति तथा उसकी मूल्य राशि से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नही रहा है और न हीं भविष्य में

सुनीता

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

L 789715

कोषाधिकारी (रुड़की)
कोड संख्या 5501
5 FEB 2015

कभी होगा। यदि बाद में किसी नुक्स कानूनी के कारण या किसी के वाद विवाद करने पर निम्नलिखितसम्पत्ति कुल या अंश कब्जा या दखल क्रेता

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

L 789716

ण्ड UTTARAKHAND

कोषाधिकारी (रुड़की)
कोड संख्या 550
16 FEB 2015

उक्त से निकल जाये, तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपनी कुल या अंश मूल्यराशि हम प्रतिज्ञ से या हमारी जात खास जायदाद से वसूल कर लेवे। इसमें हम प्रतिज्ञ या उसके वारसान को उजर कोई नहीं होगा। नींज प्रतिज्ञ उन जुमला कानूनीं जिम्मेदारीं जो कि बरूये एक प्रतिज्ञ पर आयद होतीं है, ––

सुनीता

Naveen

25

का पूरा–पूरा पाबन्द व जिम्मेदार होगा व रहेगा।

अतः यह विक्रय–पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

विवरण सम्पत्ति जो विक्रय की गई है :– भूमि खाता नम्बर–243 के खसरा नम्बर–504 रकबई 0.8960 हेक्टेयर में से अपना कुल शेष हक व हिस्सा अर्थात अपना कुल शेष भाग अर्थात रकबई 0.7593 हेक्टेयर लगान 37/–रूपये 50 पैसे सालाना भूमि स्थित मौजा ग्राम सढौली परगना मंगलौर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार। उपरोक्त विक्रीत भूमि के हदूद

पूरब में :– भूमि खसरा नम्बर–501 ईश्वर चन्द व जसविन्द्र,
पश्चिम में :– पट्डी राजबाहा,
उत्तर में :– भूमि संजय कुमार व उर्मिला देवी,
दक्षिण में :– भूमि श्रीमति ब्रजेश पत्नी ओमपाल है।

विक्रीत भूमि काश्त की भूमि है, जिसमें कोई पेड आदि नही है। विक्रेतागण, क्रेता के नाम दाखिल खारिज होने में पूरा पूरा सहयोग करेगें। विक्रेतागण व क्रेता के आधार पर उनके बताये अनुसार व उपलब्ध कराये गये कागजात के आधार पर बैनामा हाजा ड्राफ्ट किया गया है। मय जुमला हक हकूक हर प्रकार सहित।

विवरण वसूलयाबी जेरे समन:– विक्रेतागण ने क्रेता से कुल मूल्यराशि मु0–1064000/–रूपये के दो चैक नम्बर–139384 व 139385 प्रत्येक 531000/–रूपये एक्सीस बैंक लि0 रूडकी दिनांक 19–02–2015 का प्राप्त कर लिये है। अब कोई धनराशि विक्रेतागण की बजिम्मे क्रेता शेष नहीं रही है और न ही भविष्य में कभी होगी।

विक्रेता के दाये हाथ की अंगुलियो के निशान :–

अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

सुनीता

विक्रेता के बाये हाथ की अंगुलियो के निशान :–

अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

Scanned with CamScanner

25

विक्रेता के दाये हाथ की अंगुलियो के निशान :–

अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

विक्रेता के बाये हाथ की अंगुलियो के निशान :–

अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

[illegible]

क्रेता के दाये हाथ की अंगुलियो के निशान :–

अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

क्रेता के बाये हाथ की अंगुलियो के निशान :–

अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

ह0 गवाह [illegible]

[illegible]

पुत्र करम सिंह

नि० ग्राम सढौली

तह० रुड़की

ह0 गवाह [illegible] ....

अमित कुमार शर्मा

S/o टेक चन्द शर्मा

नि० 954 सैक्टर 21C

फरीदाबाद (हरियाणा)

दिनांक :– 20–02–2015 ई0

ड्राफटिडबाई :– नवीन शर्मा एडवोकेट रूडकी।

सुनीता [illegible]

NAVEEN SHARMA
Advocate

Naveen

Scanned with CamScanner

बही संख्या 1 जिल्द 2,589 के पृष्ठ 71 से 94 पर क्रमाक 1805

पर आज दिनांक 21 Feb 2015 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक,रुड़की,द्वितीय
21 Feb 2015

वाद संख्या 770/14-15 से
असल दस्तावेज वापिस किया गया

रजिस्ट्रार कानूनगो
तहसील रूड़की

Scanned with CamScanner